

आदेश

अधिसूचना दिनांक 24.04.2018 एवं 09.03.2019 के द्वारा मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन किया जा चुका है। सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में एक रूपता बनाये रखे जाने के दृष्टिगत वाणिज्य कर विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों यथा-अवकाश स्वीकृति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान, जी0पी0एफ0 अग्रिम स्वीकृति एवं सेवा निवृत्ति उपरान्त देयकों के भुगतान आदि अन्य समस्त प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियां वाणिज्य कर विभाग के अधिष्ठान यथा राजपत्रित/अराजपत्रित अनुभाग के माध्यम से व्यवहृत की जायें। इसी प्रकार आदेश निर्गमन में भी वाणिज्य कर विभाग की भांति समान प्रक्रिया अपनायी जाये।

सूच्य है कि शासन द्वारा पूर्व मनोरंजन कर विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-90 के बजट को वाणिज्य कर विभाग के अनुदान संख्या-89 में समाहित किया जा चुका है तथा आहरण वितरण का कार्य भी एक ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। विचलन की स्थिति न उत्पन्न होने दी जाये।



(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. एडीशनल कमिश्नर, (प्रशासन), वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर, स्थापना (राजपत्रित), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6. डिप्टी कमिश्नर, स्थापना (अराजपत्रित), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. डिप्टीकमिश्नर/आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
8. डिप्टी कमिश्नर (पूर्व मनोरंजन कर), वाणिज्य कर, मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि0 कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उ0प्र0।
10. वैयक्तिक सहायक, कमिश्नर कैम्प को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।